	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-2-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित इन्तजार मौका रिपोर्ट व DLC TDR इन्तजार पत्रावली 18-2-21 को पेश हो [signature]	
18-2-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित इन्तजार DLC TDR इन्तजार मौका रिपोर्ट पत्रावली 25-2-21 को पेश हो [signature]	
25-2-21	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित हैं। [illegible] उपखण्ड अधिकारी राज्य [illegible] दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य [illegible] है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 4-3-21 को पेश हों। [signature]	
4-3-2021	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित DLC दर व मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार सारवेथी द्वारा प्रस्तुत की गई शामिल मिसल की गई प्रार्थी की कृषि भूमि ख.न. 58/1 317 पर आने जाने हेतु ख.न. 400 सिवायचक कृषि में ख.न. 400/1 रकबा 0.08 हेक्टर से गै.मु. रास्ते से चलकर ख.न. 400 सिवायचक में होते हुए ख.न. 317 की मेर तक 4 मीटर चौड़ाई DLC दर से भूमि की मालियत [illegible] राशि [illegible] राजकोष में [illegible] किया जाता [illegible] पृथक से फैसला जारी कर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी साचौरी (पूर्वी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.04.06 17:56:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

54/प्रा.पत्र/2017
दायरा दिनाकं 08.11.2017

पीठासीन अधिकारी
श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

अमरा लाल आयु 92 वर्ष आ0 श्री कान्हा जी जाति तेली निवासी ग्राम जाड़ला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

——प्रार्थी——

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान

——अप्रार्थी ——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 04.03.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) में प्रस्तुत कर कथन किया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नई 2 पुरानी 2 की खसरा संख्या 58 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा संख्या 71 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा संख्या 317 रकबा 0.85 हैक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 1.10 हैक्टेयर वाके ग्राम जाड़ला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 400/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता निकल रहा है जो खसरा न0 402/2 रकबा 6.00 हैक्टेयर तक जाता है। खसरा संख्या 400 सिवायचक कृषि भूमि है जो प्रार्थी की खसरा संख्या 317 से लगवा है प्रार्थी इसी रास्ते को अपने कृषि उपकरण लाने ले जाने एवं अपनी तैयारशुदा फसल को लाने ले जाने व खाद बीज लाने ले जाने के लिये काफी समय से उपभोग में लेता चला आ रहा है। उपरोक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने–जाने के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते का अंकन नही होने से प्रार्थी को अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं आस पास के अन्य खेत [illegible] सिवायचक भूमि होने के कारण रास्ते की भूमि पर जबरन कब्जा करने की [illegible] का रास्ता बन्द करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.04.06 17:36:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

धमकी देते है। प्रार्थी के खेतों पर आने जाने के लिये उपरोक्त रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। आस – पांस के खेत वालों द्वारा प्रार्थी का उपरोक्त रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थी रास्ते के अभाव में अपनी कृषि भूमि पर नही पहुंच सकेगा एवं कृषि कार्य नही कर सकेगा जिससे प्रार्थी की कृषि भूमि में फसल नही हो सकेगी राजकीय सिवायचक कृषि भूमि खसरा संख्या 400 रकबा 0.82 हैक्टेयर वाके ग्राम जाड़ला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 की मेड के सहारे राजकीय सिवायचक खसरा संख्या 400 के सहारे सहारे प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थी को 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि खसरा संख्या 400 में से अपने खसरा संख्या 317 तक पहुॅचने के लिए आने जाने के रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में तरमीम करवायें। और अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर 20 फीट चौड़ाई में रास्ता दिये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार इन्द्रगढ़ से मौके एवं रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। भूमिधारी तहसीलदार द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा न. 317 तक, खसरा न. 400 किस्म जमीन सिवायचक में होकर खसरा न. 317 तक दिया जा सकता है।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को खसरा न. 400 सिवायचक में से होकर रास्ता दिया जावें। प्रार्थी नियमानुसार डी.एल.सी. दर से रास्तें में आने वाली कृषि भूमि का भुगतान करने पर सहमत है। अतः प्रार्थी की भूमि पर जाने के लिए 4 मीटर की चौड़ाई में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार इन्द्रगढ़ एवं नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा न. 317 पर आने जाने का कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। अतः प्रार्थी को स्वंय की खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने का रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.04.06 17:56:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
...... (बून्दी)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम जाड़ला के खसरा न. 400 रकबा 0.82 हैक्टेयर किस्म सिवायचक में खसरा न. 400/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर गे. मु. रास्ता जो खसरा न. 402/2 की मेड तक जाता है से पूर्व की दिशा में खसरा न. 317 की मेड तक 4 मीटर की चौडाई में रास्ता दिया जाता है। नायब तहसीलदार लाखेरी की मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ते के उपयोग में आने वाली कुल कृषि भूमि का रकबा 64 वर्ग मीटर भूमि जिसकी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डी.एल.सी दर 86,8500 रूपये से कुल मालियत 5558 रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि अक्षरे 11,116 रूपये प्रार्थी जर्ये चालान राजकोष में जमा कराने पर तहसीलदार इन्द्रगढ़ उपरोक्त रास्तें को राजस्व रिकार्ड में अंकन कर तरमीम करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.04.06 17:56:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner